विचार बिन्दु

अपनी करनी कभी निष्फल नहीं जाती। –कबीर

राजस्थान के मतदाता से अपील

25 नवंबर 2023 को राजस्थान की विधानसभा के लिए मतदान होगा। इस मतदान के माध्यम से यह तय होगा कि आगामी 5 वर्ष तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन से 200 विधायक करेंगे और वे बहुमत से निर्णय लेंगे कि राज्य में आगामी 5 साल तक किसका शासन होगा?

राजस्थान में कुल 5.26 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.51 करोड़ महिला एवं 2.75 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। औसतन एक विधायक लगभग 4 लाख लोगों या 2.6 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 25 नवंबर को मतदाता जब मतदान स्थल तक जाएगा तो उसे किन बातों का ध्यान रखकर मतदान करना चाहिए, इस संबंध में कुछ बिंदु प्रस्तुत हैं, ताकि उसे सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने में सहायता मिल सके।

सर्वप्रथम, तो यह सुनिश्चित करना है कि सभी मतदाता अवश्य ही मतदान करें। कई लोग यह समझते हैं कि मतदान करने से क्या फायदा और एक वोट से होगा क्या? उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह मतदान न करके भी उस व्यक्ति की सहायता करेंगे जो उनके अनुसार सही नहीं है। छोटी-मोटी कोई भी समस्या हो, प्रत्येक को मतदान केंद्र तक जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही है। यह उल्लेखनीय है कि गत चुनाव में ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत होने के बावजूद 75 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि अपना प्रतिनिधि चुनने में 25 प्रतिशत लोगों ने अपनी भागीदारी नहीं निभाई। सामान्यतया जीत - हार में अधिकतम अन्तर कुल मतदाताओं का 5 प्रतिशत होता है। कई बार तो यह अन्तर 1000 वोट से भी कम, यानि कुल मतदाताओं का 0.5 प्रतिशत या इससे भी कम होता है। यदि शेष 25 प्रतिशत मतदाता भी अपने अधिकार का प्रयोग करते, तो परिणाम क्या होता, कहा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह कि प्रत्येक मतदाता का मत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह परिणाम को बदलने की क्षमता रखता है। अत: सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वे मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और राजस्थान में आगामी 5 वर्ष के लिए सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं।

अब प्रश्न यह उठता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। सामान्यत: उम्मीदवार या तो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहा होगा अथवा कोई निर्दलीय हो सकता है। आपके क्षेत्र का उम्मीदवार या तो पूर्व से राजनीति में होगा या कोई पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहा होगा। पहली परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति, पहले से किसी राजनीतिक दल में है, उसके टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो आप उस दल की विचारधारा के अनुसार मतदान कर सकते हैं। साथ ही यह भी अवश्य देखिए कि आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करेगा उसकी क्षमता एवं गुण क्या हैं? आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता, कीमत सबका ठोक बजाकर आकलन करने के बाद ही अपना निर्णय लेते हैं। यहाँ तो आप आगामी पाँच साल के लिए अपना विधायक चुन रहे हैं तो आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम, तो यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को आपका मत नहीं मिले। प्रत्येक उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरणों की जानकारी सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग की वेब साइट पर उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि मतदाताओं द्वारा अपने कत्तर्व्य का निर्वहन नहीं करने के कारण ही आपराधिक पृष्ठभूमि के विधायकों की संख्या बढ़ती गई है।

दूसरा गुण उस व्यक्ति में आप देख सकते हैं, वह उसकी ईमानदारी है। जो व्यक्ति पहले से राजनीति में है, उसके बारे में आपको स्वयं को पता होगा अथवा न पता हो तो जानकारी अवश्य करिए कि वह ईमानदार है या नहीं? उसकी संपत्ति में किस प्रकार वृद्धि हुई है एवं उसकी आय के साधन क्या हैं? अपनी आय प्राप्ति के लिए वह किस प्रकार के साधनों का प्रयोग करता रहा है? यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति उसकी आय के ज्ञात साधनों से अधिक है तो उसे अपने मत का समर्थन मत दीजिए। जो व्यक्ति अब तक अनैतिक, गैर कानूनी तरीकों से अथवा अपने पद के प्रभाव के कारण धन का संचय करता रहा है तो अचानक वह ऐसा करना बंद कर देगा, ऐसा सोचना सही नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसे आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने का अधिकार होना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति अब तक राजनीति में नहीं था और पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहा है, तो उसके बारे में यह पता कीजिए कि सार्वजनिक जीवन में उसका रिकॉर्ड क्या रहा है? यदि कोई अधिकारी था तो क्या उसने ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ जन समस्याओं को हल करने का काम किया है अथवा लोगों के साथ असंवेदनशील और भ्रष्ट तरीके अपनाते हुए अपने धन का संचय किया है? क्या उसने सेवा काल में नेताओं की चापलूसी करके तथाकथित मलाईदार पोस्टिंग प्राप्त करने में ही पूरी ऊर्जा लगा दी? यह पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि किसी भी अधिकारी की छवि क्या रही है? यदि आपको न पता हो, तब भी इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके ही मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो आप अधिक उपयुक्त व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए चुन पाएंगे।

समाज में महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के प्रति आपके उम्मीदवार का किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है, यह भी आपके निर्णय का आधार होना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महिलाओं को एक वस्तु की तरह समझते हैं एवं उसी प्रकार उनका उपभोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुनने से परहेज करेंगे तो अधिक अच्छा होगा।

तीसरी कसौटी किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में यह हो सकती है कि वह, क्या केवल अपनी जाति, धर्म और अपने ही परिवार के लोगों के लिए पूरे समय काम करता रहा है या उसने बिना भेदभाव के अपने क्षेत्र के सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया है? देश हित में और आपके क्षेत्र के हित में भी यही है कि निर्वाचित व्यक्ति, जाति- धर्म- वर्ग - परिवार से ऊपर उठकर केवल सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखे एवं उस व्यक्ति का हित सबसे पहले देखे जो जिसका और कोई सहारा ना हो एवं जो स्वयं अपने लिए रास्ता बनाने में सक्षम न हो। यदि किसी व्यक्ति ने साधारण जनता की कीमत पर कुछ बाहुबलियों और धनाढ्य, प्रभावशाली व्यक्तियों के हित को आगे बढ़ाने का काम किया हो तो ऐसे व्यक्तियों को आपका समर्थन नहीं मिलना चाहिये। आपका मत उसे मिलना चाहिए जिसका चरित्र उत्तम हो। जिस व्यक्ति में चरित्र का नैतिक बल नहीं होगा, वह गलत नीतियों और असंवेदनशील अधिकारियों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। अपने उम्मीदवारों के बारे यह जानकारी जुटाना कठिन नहीं है। क्या उम्मीदवार केवल अपने स्वयं के परिवार के एवं जाति, रिश्तेदारों के लिए ही पूरा समय काम करता है अथवा अपने क्षेत्र के सार्वजनिक हित के लिए भी अपना पूरा समय देता है?

चौथी कसौटी यह होनी चाहिए कि क्या उम्मीदवार सरल जीवन यापन करता है अथवा दिखावे के जीवन में विश्वास करता है? क्या वह बहुत ही वैभवशाली तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है? यदि वह ऐसा करने के लिए किसी को अनुचित लाभ पहुंचा कर बदले में लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसा करता रहा है तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी साधारण नागरिक के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाएंगे। यदि चुनाव के दिनों में ऐसा कर भी रहे हैं तो वह केवल मतदान के दिन तक होगा और जीतने के बाद वह साधारण जनता की ओर कभी रुख भी नहीं करेंगे। ऐसा व्यक्ति आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सही अधिकारी नहीं है।

पांचवां मापदंड यह कि, उसका व्यवहार किस प्रकार का है? क्या सामान्य व्यक्ति के लिए उससे मिलना पहले संभव रहा है एवं जब भी आपने उससे मिलने का प्रयास किया तो आप सफल हो पाए या नहीं? यदि पहले वह आपके क्षेत्र का विधायक रह चुका है, तो इसका आकलन करना आपके लिए और भी सरल है। जो व्यक्ति जनता से दूर रहेगा वह व्यक्ति आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी हो नहीं सकता। अपने मतदान का प्रयोग करते समय इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि कौन सा उम्मीदवार जनता को सहजता के साथ उपलब्ध है एवं क्या सामान्य जन, अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए उसके पास पहुंच सकता है?

अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय यह भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति केवल चुनाव के कुछ दिनों पूर्व ही दल बदल कर किसी नए दल में तो नहीं आया है, और वहां से टिकट प्राप्त कर के उम्मीदवार बन गया है? ऐसे व्यक्ति सामान्यतया किसी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं एवं दल बदल का मुख्य कारण ही यह होता है उन्हें उनके दल ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति आपके क्षेत्र का सही तरह से प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, इसकी संभावना कम ही है। वे किसी नीति या निर्णय का विरोध केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए ही करेंगे। दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक भी तभी लगेगी जब इस प्रकार के लोग चुनकर विधानसभा में नहीं जाएंगे। अपने क्षेत्र के बारे में इसका आकलन करने के पश्चात ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें तो दल बदलने वालों को सबक सिखाने का यह एक अच्छा अवसर होगा।

मताधिकार का निर्णय करते समय एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने योग्य यह है कि आपका प्रतिनिधि कितना शिक्षित और कितना जानकार है? शिक्षा का अर्थ केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं अपितु अपने विवेक एवं ज्ञान के आधार पर क्या वह नीतियों के प्रभाव का आकलन करने में समर्थ है या नहीं? जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की नीतियों का सामान्य मतदाता पर क्या प्रभाव होगा, इसका आकलन करने में ही सक्षम नहीं है, तो वह किस प्रकार विधानसभा में अपना पक्ष पुरजोर तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा? किसी भी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता के साथ ही उसमें सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित बिंदुओं को समझने एवं उनका विश्लेषण करने की तथा उनके सामान्य जनजीवन पर प्रभाव का आकलन करने की कितनी क्षमता है, इसको देखकर ही अपना मत उसे दें। मतदाताओं को यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपके 25 नवंबर के मतदान के माध्यम से राज्य की सरकार चुनी जाएगी न कि स्थानीय निकाय की एवं न ही केंद्र सरकार की। कई बार मतदाता अपने मत का प्रयोग करते समय इस बात को भूल जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्थायें सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है, किन्तु 25 नवंबर को होने वाले मतदान के आधार पर, राज्य के सरकार के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय लिए जाने के लिए ही सरकार का गठन किया जाएगा। सरकार उसी की बनेगी जिसे आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा। वैसे भी सामान्य नागरिक के जीवन को प्रभावित करने वाले अधिकांश निर्णय राज्य स्तर पर ही लिए जाते हैं।

जिस दल के द्वारा आपके जीवन को प्रभावित करने के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे, उनके बारे में सोच-समझकर अपने अधिकार का प्रयोग कीजिएगा। क्या आपके क्षेत्र के उम्मीदवार ने अथवा उसके दल ने, आपके जीवन को अधिक सुगम एवं सरल बनाने हेतु कार्य किया है अथवा परेशानियां और बढ़ाई हैं? आप जब अपना वोट दें, तो इस कसौटी पर भी अपने उम्मीदवार को कसकर अवश्य देखें कि किसने आपके जीवन में सुगमता और सुविधा बढ़ाने का कार्य किया है? समाज में महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के प्रति आपके उम्मीदवार का किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है, यह भी आपके निर्णय का आधार होना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महिलाओं को एक वस्तु की तरह समझते हैं एवं उसी प्रकार उनका उपभोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुनने से परहेज करेंगे तो अधिक अच्छा होगा। जो भी जनप्रतिनिधि महिलाओं एवं समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध न हो, वह आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कतई उपयुक्त नहीं है।

कुछ बिंदु यहां पर लिखे गए हैं एवं इसके अतिरिक्त भी आप चुनाव करते समय अपने पूरे विवेक और जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपके द्वारा चुना गया विधायक पांच वर्ष तक आपके क्षेत्र लिए आवंटित करोड़ों रुपए का उपयोग (या दुरुपयोग?) करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि आपने 25 नवंबर को यह सावधानी बरती और पूरे विवेकपूर्ण तरीके से उपरोक्त बिंदुओं की कसौटी पर कसते हुए अपने उम्मीदवार का चयन किया और उसे विजेता बनाया तो आगामी पांच वर्ष तक आपका क्षेत्र अधिक तेजी से विकास की गति पर आगे बढ़ पाएगा और समाज में अधिक समन्वय और सहयोग की भावना आपके क्षेत्र में बनी रहेगी। आपके प्रतिनिधि का संपर्क भी आपसे केवल चुनाव के दिन ही नहीं अपितु 5 वर्ष तक निरंतर बना रहेगा। आप अपने क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का समर्थन करते हुए उसे विजय प्राप्त करने में सहायक बनेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि अपने मत के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

किसान-ग्रामीण भारत और चुनाव

महावीर सिंह

राजस्थान की विधान सभा के लिए, मतदाताओं द्वारा विधायकों का चुनाव करने के लिए 25 नवम्बर, 2023 को वोट डाले जाएंगे। मतदान का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जिसके द्वारा मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देगा। जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिलेंगे, वह व्यक्ति आगामी 5 साल के लिए विधान सभा में और सरकार के समक्ष जनता की मांगे, कठिनायों को रखेगा और समाधान के प्रयास करेगा।

मतदाताओं के विभिन्न समूहों की अलग अलग दिक्कतें है, आकांक्षाएं है और स्वस्थ लोकतंत्र में उन्ही सब बातों को ध्यान में रख कर मतदाता से मतदान की अपेक्षा की जाती है। युवाओं के लिए सरकारी, गैर सरकारी रोजगार, स्वरोजगार की शीघ्र व सहज उपलब्धता का मुद्दा होगा। महिलाओं के लिए आम सुरक्षा, गृहणियों के लिए मंहगाई, विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करने-आगे बढ़ने के अवसर और अपनी पहचान के मुद्दे होंगे।आम गरीब जन के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, बच्चो की शिक्षा आदि अहम मुद्दे है। यह बात अलग है कि मतदाता अपने मुद्दों को ध्यान में रख कर वोट डालेगा या धर्म, जाती, क्षेत्र, जातीय जनगणना, आरक्षण जैसी बातों को महत्व देगा। 60 प्रतिशत के लगभग किसानों, ग्रामीणों के लिए अहम मुद्दे क्या है? वैसे तो हमेशा से ही किन्तु वर्ष 2000 के बाद, प्राय:, हर पार्टी और उनके बड़े नेता को किसानों को खुशहाल करने की बात बड़े जोर सोर से कहते रहे है किन्तु अफसोस, आज भी औसतन ग्रामीण भारत/किसानों की प्रतिदिन औसत आय मात्र 27 रु के करीब है।

दोनों बड़ी पार्टियां चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए आने वाले 5 साल में किस वर्ग के लिए क्या करेंगी, इसकी घोषणाएं करती हैं। भाजपा नें 16 नवम्बर, 23 को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस नें पिछले 6 माह से नई-नई योजनाओं की घोषणा-क्रियान्वयन किया है और अब 7 गारंटियों की घोषणा की है। आओ किसानों की दृष्टि से, उनकी आशाओं - मांगों पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अब तक के रवैये, उनकी घोषणाओं के मध्यनजर उन पर विचार करें ::--

कृषि के सम्बंध में कोई चर्चा करने से पहले, चौधरी चरण सिंह जी का यह कथन याद रखना होगा कि भारत की उन्नति का रास्ता खेत-खलिहान में से होकर गुजरता है। किसानों की वर्षों से मांग रही है कि-

(1) उन्हें उनकी फसल/पैदावार का लाभकारी मूल्य मिले। इसके लिए सरकार पारदर्शी तरीके से फसलों पर होने वाली लागत-- फसल, बुवाई, खाद, बीज, कीटनाशी दवाएं, निराई, कटाई, निकलाई, भंडारण और ढुलाई की वास्तविक लागत निकलाई जाए। इस लागत पर स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुसार 50 प्रतिशत लाभ किसान को मिले,वह न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो। कृषि लागत निर्धारित करने वाले आयोग-कमेटियों में किसानों का कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। भजपा हो या कांग्रेस दोनों की सरकार रही है और दोनों नें अब तक इस मुद्दे को नहीं स्वीकार किया।

(2) लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने मात्र से किसान का भला नहीं हो सकता। इस मूल्य से नीचे सरकारी व खुले बाजार में खरीदी नही हो, इसके लिए भी बाध्यकारी कानून की वर्षों से मांग किसानों की रही है। दोनों ही बड़ी पार्टियां अब तक इस से कन्नी काटती रही है।

(3) समय-समय पर किसानों को सलाह दी जाती रही है अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें यथा गन्ना, गेंहू, धान आदि न बो कर, कम पानी वाली फसलें बोयें। कृषि का विविधीकरण हो। फल, सब्जी, मसाले आदि कोमर्सियल क्रॉप्स बोयें। सलाह सही है किंतु किसान पारम्परिक फसलों से हट कर हॉर्टिकल्चर या अन्य फसल पर जाएगा तो उसे उन्हें अपनाने में समय लगेगा, उसे इस अवधि में आय का नुकसान भी होगा। इस अवधि में पारम्परिक खेती से होने वाली आय व आय में अंतर को, कुछ समय के लिए कम्पनसेट करना आवश्यक है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर 2-4 पंचायतों के मध्य,सरकार मॉडल फार्म्स तैयार करे। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण वाली उक्ति के अनुसार किसानों को फल-सब्जी-मसालों की खेती के लाभ दिखाए और उसके लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही व्यापक स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कृषकों को समझाइश कार्यक्रम शुरू करें, जिनका अत्यंत अभाव है। दोनों ही बड़ी पार्टियों के पास इस सम्बंध में कोई स्पष्ट योजना नहीं है।

(3) किसानों की जोतें पारिवारिक विभाजनों के चलते काफी छोटी हो गई है व कई स्थानों पर बिखरी हुई है। इसके लिए व्यापक स्तर पर जोत एकीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाना कृषि व कृषकों के हित में होगा। किसी भी राजनीतिक दल का इस सम्बंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, जो होनी चाहिए।

(4) किसानों की मांग रही है कि जिस प्रकार सामान्य रुप से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मंहगाई सूचकांक निकाला जाता है, उसी प्रकार कृषि में प्रयुक्त ईनपुट्स का भी, तिमाही मंहगाई सूचकांक निकाला जाए और उसे लाभकारी न्यूनतम मूल्य के साथ जोड़ा जाए। सभी राजनीतिक दल इस पर मोन साधे है।

(4) किसानों की लंबे समय से मांग रही है कि खाद्य पदार्थों के आयात-निर्यात के लिए मात्रा और समय से सम्बंधित निर्णयों में किसानों, उनके संगठनों के माध्यम से भागीदारी की जाए, उनकी राय ली जाए। कई बार आयात ऐसे समय किय्या जाता है जिस से खुले बाजार में किसानों की फसलों भाव गिरते है।

(5) आवारा पशु पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सरदर्द बने हुए है। लगातार बढ़ते जा रहे है। सरकार चाहती है कि अवर पशुओं को रखने, देखभाल-खाने पीने का बंदोबस्त ग्रामीण ही करें। सरकार नमात्र सी सब्सिडी दे देगी। अगर आवारा पशुओं के लिये सरकारें इतनी दरियादिल है तो सरकारी बजट से,-- गोशालों के लिए भूमि, बाउंड्री, शेड्स व दैनिक चारे और पानी की व्यवस्था, देखभाल करने वालों की व्यवस्था की सारी व्यवस्था सरकार करे।

(6) ग्रामीणों के हित में, राजस्व कानूनों में संसोधन भी आवश्यक है। ग्राम पंचायत स्तर पर तहसील स्तर के कुछ अधिकार दे देने चाहिए यथा सीमा ज्ञान, रास्तों को विवाद, आपसी सहमति के बंटवारे व भूमि की अफल बदली आदि। उपखण्ड अधिकारी व उस से ऊपर के अधिकार भी एक एक नीचे के स्तर पर दे देने चाहिए जिस से न्याय के लिये ग्रामीणों को सुविधा हो।

(7) अनावृष्टि, अतिवृष्टि व प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बीमा का प्रावधान तो है किंतु उसका क्रियान्वयन अत्यंत क्लिष्ट है। समय पर पारदर्शी तरीके से खराबा रिकार्ड नहीं होता और बीमा क्लेम या तो मिलता नही या खराबे की तुलना में अत्यंत कम मिलता है और देरी से तो मिलता ही मिलता है। तहसील-पंचायत समिति स्तर पर अधिकांशत: तो बीमा कंपनियों के कार्यालय-कर्मचारी हैं ही नही या दफ्तर बंद मिलते है। उनके कर्मचारी तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। सेटेलाइट पिक्चर्स के आधार पर तुरंत खराब रिकार्ड करने की व्यवस्था इसमें सहायक हो सकती है। बीमा कंपनियों के लिए सेटेलाइट इमेजरीज के आधार पर खराबे अनुमान लगाना लाजमी किया जाए। स्वयं बीमा कम्पनी अपने स्तर पर गिरदावरी की पहल करे। देरी की स्थिति में अपने कर्मचारियों से करवाए। मौके की पटवारी गिरदावरी आवश्यक है किंतु यह तुरन्त करवाना बहुत जरूरी है ताकि क्लेम्स का भुगतान शीघ्र हो।

किसान जब ऋण लेता है तब एक फसल अंकित करवाता है किंतु मौसम की या खाद-बीज आदि की उपलब्धतता की परिस्थियों के अनुसार उसे दूसरी फसल बोनी पड़ती। इसके आधार पर बीमा क्लेम रिजेक्ट करने के मामले भी सामने आते हैं। यह अनुचित है। यदि मौके पर बोई ग़ज़ल के लिए प्रीमियम ज्यादा होता है तो अंतर राशि किसान से वसूल कर लें किन्तु खराबे का क्लेम रिजेक्ट करना घोर अन्याय है। अभी तक का अनुभव तो यह है कि कृषि बीमा करने वाली कम्पनियां बेलगाम हैं।

(8) कृषि से सम्बंधित निर्णय लेने वाले स्तरों पर कृषि विशेषज्ञ व ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिकारी लगाए जाएं। कई बार सरकारों द्वारा लिए जाने वाले फैसलों से लगता है कि कोई खेती-किसानी का जानकार आदमी ऐसे फैसले कैसे कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तीन काले कृषि कानून थे। किसी नही पता आनन फानन में, बिना व्यापक चर्चा के, बिना संसद में बहस करवाए अध्यादेश किस इमरजेंसी के चलते लाए गए। इनका कोई औचित्य सरकार बता नही पाई और अंतत: वापिस लेने पड़े। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए फूहड़ मध्यकालीन तरीके अपनाए गए और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को अनेक अशोभनीय विशेषणों से अलंकृत करने का असफल प्रयास किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, किसानों, ग्रामीण क्षेत्रो के मुद्दे तो ओर बहुत सारे है। किसान दोनों बड़ी पार्टियों की गारंटियों व घोषणापत्रों को देख लें। उनकी समस्याओं पर उनमें क्या वादे किए जा रहे है और अब तक विभिन्न पार्टियों की सरकारों नें क्या दिया उन पर विचार कर ले। अब चुनाव के लिए मतदान का दिन आएगा। किसान भी वोट डालेगा। किसानों को निर्णय करना है कि वे अपने वर्ग हित को ध्यान में रख कर मतदान करें या जाती, रिश्तेदारी, अपने-पराए आदि छोटी-मोटी बातों को ध्यान में रख कर करे। किसानों, ग्रामीणों को यह स्मरण रखना चाहिए कि उनके हित-अहित के फैसले बनने वाली सरकार करेगी। इसलिए अपने प्रतिनिधि ऐसे व्यक्तियों को चुनें जो उनकी समस्याओं को समझते हैं, उन्हें विधान सभा और सरकार के समक्ष बिना डर-हिचक-निजी स्वार्थों से ऊपर उठ कर रख सकें। जिस भी पार्टी में ऐसे उम्मीद्वार हों उन्हें चुने। आनावयशयक पार्टियों के बन्ध कर मुसलों को धज्जा न बन्धें। मारवाड़ी शब्द है धुंधी, जिसका अर्थ है बिना विचार किए आवेग-आवेश में आकर जोर-सोर से कोई काम करना। इसलिए धुंधी चढा कर वोट मत डालना-सोच समझ कर, अपने बड़े हितों को ध्यान में कर डालना।

– महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान भीतरघात का डर क्यों सताता है

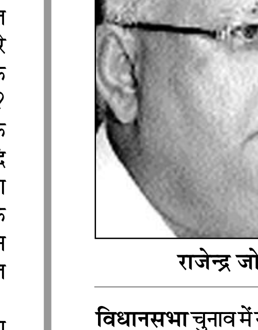

राजेन्द्र जोशी

विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को अपनी ही पार्टी के समर्थको से भितरघात का इतना अधिक डर क्यों सता रहा है। अपने लोगों से जहां समर्थन की उम्मीद होती है वही अपने ही दल के लोगों से खतरा क्यों सताता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। बड़े राजनैतिक दलो के उम्मीदवार विरोधियों से परेशान नहीं है, इस बात से अधिक दुखी है कि उनके अपने लोग पार्टी के साथ तो है लेकिन मुझ उम्मीदवार के लिए भरोसेमंद कितना रहेंगे, कहीं भितरघात ना कर दें। इसके विपरीत उम्मीदवार अपने दल के लोगों के बजाय दूसरी पार्टी के समर्थकों पर ज्यादा भरोसा रखते है। जबकि अपने लोगों से डर क्यों है, कभी राजनीतिक दलो के नेताओ ने इस पर विचार ही नहीं किया। कुछ लोग तो टिकट न मिलने के कारण खुद ही ताल ठोक देते हैं, वह तो स्पष्ट है, ऐसे में बहुत से समर्थक बगावत करके ताल ठोकने वाले के साथ हो जाते हैं। परंतु अधिकतर भितरघाति अंदर खाने दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं, उन्हें पता है कि अपने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए हमें जिताऊ के पास जाना चाहिए। यह समस्या किसी अकेली पार्टी में नहीं है बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में देखी जा सकती है।

भीतरघात का मुख्य कारण क्या है, कार्यकर्ता पूरे पांच साल अपने ही नेताओं से नाराज रहते हैं, ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं का कहना तो यहां तक है कि हम हमारे नेताओ को जिताकर भेजते है और जीतने के बाद उनका व्यवहार बदल जाता है, उनके लिए परिवार के लोग अथवा विरोधी प्रमुख हो जाते है, हम पार्टी कार्यकर्ता से सामान्य नागरिक की तरह भी व्यवहार नहीं करते। नाराजगी तो उनकी तब बढ़ जाती है जब उनके सामने खुल्लम-खुल्ला विरोधी कार्यकर्ता अपना काम हमारे नेताओं से कराते हैं। हमारे नेता भी कार्यकर्ताओं का फोन तक नहीं उठाते और तो और पूरे पांच साल सरकार की ओर से बनाई जाने वाली समितियों में भी विरोधी दल के लोग स्थान प्राप्त कर जाते हैं। भीतरघात करने की मनसा कार्यकर्ताओं में एक दिन में नहीं हुआ करती। पांच साल कार्यकर्ता भीतर-भीतर परेशान रहकर ही भितरघात करते हैं। राजनैतिक दल और नेतागण चुनाव जीतने के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं की खबर नहीं लेते, कुछ कार्यकर्ताओं का तो यहां तक कहना है कि सत्ता में लगातार आ रहे नेता धीरे-धीरे पार्टी संगठन के भरोसे रहते भी नहीं, उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों को ही पार्टी और चुनाव की जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी जिससे भितरघात बढ़ता जाता है और यही कारण है कि कार्यकर्ता निरंतर विचारधारा से विमुख होते जा रहे हैं।

– राजेन्द्र जोशी,
कवि-कथाकार

विद्यार्थियों ने मतदाता जागरुकता रैली निकाली

बीकानेर, (निसं)। मतदाता जागरूकता के सतरंगी सप्ताह के पांचवे दिन सोमवार को मेजर पूर्ण सिंह राजकीय फोर्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा मतदाता रैली का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी, एनसीसी, स्काउट, गाइड, एनएसएस से जुड़े विद्यार्थी और स्टाफ सदस्य मौजूद हुए। राजकीय फोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली फोर्ट स्कूल से रवाना होकर राजीव गांधी मार्ग, अणचा बाई हॉस्पिटल, लेडी एल्गिन स्कूल, पुरानी जेल परिसर के आगे से होते हुए पुन: फोर्ट स्कूल में संपन्न हुई। रैली के दौरान 'वोट करेंगे, वोट करेंगे' के नारे लगाते हुए विद्यार्थियों ने आसपास के क्षेत्र को गुंजा दिया। 'नाचेंगे गायेंगे, वोट देने जाएंगे', 'एक दो तीन चार, लोकतंत्र की जय-जयकार' जैसे नारे लगाते हुए आम जन को मतदान के प्रति जागरूक किया। निर्वाचन आयोग की ओर से सतरंगी सप्ताह के पांचवें दिन के कार्यक्रम पीले रंग की थीम और स्लोगन 'मताधिकार का उपयोग करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे' के साथ आयोजित हुए। डीईओ भाटी ने विद्यार्थियों से शत-प्रतिशत मतदान के लिए आम लोगों को जागरूक करने का आव्हान किया। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कम मतदान वाले क्षेत्रों के लिए हेला टोली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने की प्रक्रिया भी बताई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने हेला टोली से जुड़े विद्यार्थियों को मतदान समयावधि में सजग रहने की अपील की। इससे पहले माने खां एण्ड पार्टी से जुड़े कलाकारों ने कठपुतली के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया एवं चुनाव आयोग की ओर से तैयार किए गए विभिन्न ई-टूल्स और उनके कार्यों के बारे में गीतों के माध्यम से जानकारी दी। जागरूकता रैली में मैं भारत हूं चिरमी जैसे गीत भी मतदाता जागरूकता रथ में पूरे रास्ते बजते रहे। इस अवसर पर सहायक निदेशक भैरुसिंह राठौड़, ओम प्रकाश गोदारा, प्रिंसिपल मंजू वर्मा, अंशु माला गोदारा, संजय सांखला, सुभाष जोशी आदि मौजूद रहे। सतरंगी सप्ताह के छठे दिन मंगलवार को जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला रंगोली और महिला मार्च कार्यक्रम होंगे। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा स्वीप प्रभारी नित्या के. ने बताया कि जिला स्तर पर यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। जहां ऑरेंज कलर थीम तथा 'वोट करूंगी तभी तो बढूंगी' स्लोगन के साथ महिलाओं द्वारा शत प्रतिशत मतदान कासंदेश दिया।

राशिफल मंगलवार 21 नवम्बर, 2023

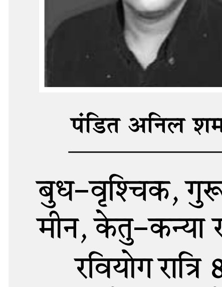

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलमवार, विक्रम संवत 2080, शतभिषा नक्षत्र रात्रि 8:01 तक, व्याघात योग सांय 5:40 तक, बालव करण दिन 2:13 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरू-मेष, शुक्र-कन्या, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

रवियोग रात्रि 8:11 से आरम्भ होगा। कुमार योग रात्रि 1:01 से आरम्भ होगा। आज आंवला नवमी, अक्षय कुष्माई नवमी, श्री हरि जयन्ती, कृत युगादि, जमंधात्री पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:34 से 10:53 तक, लाभ-अमृत 10:53 से 1:72 तक, शुभ 2:51 से 4:11 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:55, सूर्यास्त 5:30

मेष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। चलते व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

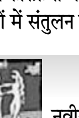

वृष

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा।

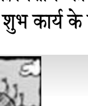

मिथुन

नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक/वित्तीय कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

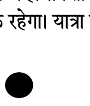

कर्क

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या

स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

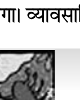

तुला

घर-परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है और उचित परामर्श मिलेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

मकर

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिककार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कुंभ

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

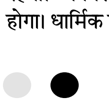

मीन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।